न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 462/2018 (2018/00348) दर्ज दिनांक 04.07.2018

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

1. माधुलाल पिता हरलाल ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. देवकिशन पिता लेहरू ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राधेश्यामि पता लेहरू ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजू पिता लेहरू ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सुन्दर बेवा लेहरू ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. जगदीश पिता उदयराम ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. कैलाश पिता उदयराम ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. सीता पुत्री उदयराम ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. बाबूलाल पिता वंशीलाल ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——प्रार्थीगण

बनाम

1. विष्णु पिता मोहन लाल ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. शान्तिलाल पिता बालुराम ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल आजाद नगर राठी जी की आरामशीन के पास भीलवाड़ा
3. शंभुलाल पिता बालुराम ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल आजाद नगर राठी जी की आरामशीन के पास भीलवाड़ा
4. भगवती बाई पुत्री बालुराम हाल पत्नि श्याम लाल ब्राह्मण निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. जशोदा बाई पुत्री बालुराम हाल पत्नि जगदीश शर्मा निवासी आमली तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा।
6. कस्तुरी बेवा बालुराम ब्राह्मण निवासी माकड़िया तहसील तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:30 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :– अधिवक्ता प्रार्थीगण: श्री संतोष पारीक
अधिवक्ता विपक्षीगण:–श्री सी0एम0 सिसोदिया

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

Scanned with CamScanner

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–06.11.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम माकड़िया पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आवादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1404, 1400, 1401, 1402, 1403 स्थित है। प्रमाण में प्रमाणित नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस की प्रतियां पेश है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात पर सदैव से गाड़ी, संज , बैल सहित विपक्षीगण संख्या 1 से 6 की आराजियात खसरा नं0 2145/1397 एवं आराजी सं0 1397 की पश्चिमी पाली पर होकर आवागमन करते आ रहे है। और विपक्षीगण ने कभी आने जाने से मना नहीं किया । परन्तु हमारी जमीन पर जाने का रास्ता मौके पर रास्ता है परन्तु राजस्व नक्शा में लाल स्याही से अंकन नहीं होने से विपक्षीगण ने इसका नाजायज लाभ उठा कर हमारे रास्ते की जमीन के आड़े अवरूद्ध कर दिया और रास्ता बंद कर दिया। तथा विपक्षीगण ने भी हमें मना कर दिया व कहा कि नक्शे में तुम्हारी जमीन पर जाने का रास्ता अंकित नहीं है। जिससे हम नहीं जाने देंगे। जिससे हम प्रार्थीगण हमारी जमीन पर जाने के लिये विपक्षीगण की जमीन में से 20 फीट चौड़ा पूरी लम्बाई तक रास्ता माकड़िया जमीन की डी0एल0सी0 दर से राशि अदा कर यह रास्ता नक्शा में लाल स्याही से अंकित करवाना चाहते है । बिना रास्ते के हमारी जमीन बिना काश्त के पड़ी है जिससे हम उक्त वर्णित आराजियात में जाने के लिए गांव माकड़िया की आराजियात की तहसील सहाड़ा की डी0एल0सी0 दर से राशि विपक्षीगण को अदा करना चाहते है और हमारी जमीन में आने जाने का उक्त वर्णित विपक्षीगण की आराजियात की पश्चिमी पाली पर 20 फीट चौड़ा उत्तर – दक्षिण पूरी लम्बाई तक पूर्व – पश्चिम चौड़ाई का रास्ता राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकन करवाना चाहते है। जिसके लिए विपक्षीगण तैयार नहीं है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीण की आराजी संख्या 1404, 1400, 1401, 1402, 1403 में आने जाने के लिए विपक्षी के खातेदारी अधिकार की आराजियात खसरा नं0 2145/1397 एवं आराजी सं0 1397 की पश्चिमी पाली के पास 20 फीट चौड़ा रास्ता पुरी लम्बाई तक दिलाया जावें एवं विपक्षीगण को इस रास्ते की भूमि की डी0एल0सी0 दर से किमत दिलाई जावे और हमारा रास्ता खुला कराया जावें

प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.07.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये ग[illegible] के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र की च[illegible] एक लगायत पांच असत्य एवं मिथ्या होने से अस्वीकार किया है [illegible] पत्र में अंकित आराजियात ग्राम माकड़िया में स्थित [illegible] नहीं है चरण संख्या 7 कानूनी है। प्रार्थीगण में से प्रार्थी माधुलाल ने जो शपथ प[illegible] पेश किया है, वह असत्य एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र झूठा व [illegible]कल्पित बता प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:30 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक दिनांक 09.12.2019 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसार :–

–यह कि वादीगण द्वारा मौके पर खसरा संख्या 1397, 1398, 2145/1397 में से रास्ता चाहा गया है।
– यह कि उक्त वर्णित आराजियात में वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है।
– यह कि पूर्व में आवागमन आस–पास पड़त पड़ी हुई आराजी में से होता था । अब आस–पास की आराजी कृषि आराजी में काश्त होने से आवागमन बाधित हो गया है।
– यह कि उपस्थित ने बताया कि कभी–कभी खसरा संख्या 1397, 1398, 2145/1397 में से भी आवागमन करते थे। वर्तमान में उक्त खसरा संख्या के खातेदार द्वारा रास्ता बंद कर दिया जाना बताया।
– यह कि मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य समीपस्थ रास्ता नहीं है।
– वर्तमान में उक्त आराजी पर आवागमन बंद है।
–यह कि खसरा संख्या 1404, 1400, 1401, 1402, 1403 के लिए मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
–यह कि खसरा संख्या 1397 क्षेत्रफल 0.33 हे0 में से 0.0480 हे0 , 2145/1397 क्षेत्रफल 0.04 हे0 में से 0.0050 हे0 , 1398 क्षेत्रफल 0.73 हे0 में से 0.70 हे0 भूमि रास्ते हेतु बनती है।
–यह कि ग्राम माकड़िया की डी0एल0सी0 231442/– प्रति हे0 है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर बहस उभयपक्ष सुनी गई जिस पर विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति जाहीर की जाकर पुनः मौका रिपोर्ट हेतु निवेदन किया जिस पर विपक्षीगण के अधिवक्ता की आपत्ति को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सहाड़ा को पुनः मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा पुनः मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक दिनांक 31.12.2019 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

पुनः मौका पर्चा अनुसार :–
–यह कि वादीगण द्वारा मौके पर खसरा संख्या 1389 गै0मु0 रास्ता से खसरा संख्या 1397, 1398, 2145/1397 में से रास्ता चाहा गया है। चाहे गये रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है।
– यह कि उक्त वर्णित आराजियात में वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है।
–यह कि खसरा संख्या 1389 किस्म गै0मु0 रास्ता खसरा संख्या 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404 के दक्षिण दिशा में स्थित है।
–यह कि खसरा संख्या 474, 467, 466, 454, 418, 414, 413, 412, 410, 2140/368, 362, 360, 358 खातेदारी दर्ज है उक्त खसरा [illegible] जारी होकर आवागमन के लिए खुला हुआ है।
– यह कि मौके पर उपस्थित प्रतिवा[illegible] संख्या 4 में वर्णित खातेदारी रास्ते से होते हुए खसरा संख्या 345 व 369 से [illegible] आवागमन करते आये है, जिसे लाल स्याही से दर्शाया गया है।
– खसरा संख्या 345, 369 में वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :— 462/2018 (2018/00348)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

— यह कि वादीगण की कृषि आराजियात में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपब्ध नहीं है।
— यह कि दोनों रास्तो को नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शाया गया रास्ता आराजी संख्या 346, 345, 369 में से देने पर यह रास्ता अत्यधिक लम्बा एवं अन्य कई खातेदारों से होकर गुजरने पर भविष्य में विवाद होने की संभावना बनी रहेगी अतः प्रार्थना कि की मौका रिपोर्ट में दर्शाये गये अन्य लाल स्याही का रास्ता जो आराजी संख्या 1397, 1398, 2145/1397 में से गुजर रहा है वह प्रार्थीगण के लिए अत्यधिक सुगम एवं नजदीक है अतः उक्त आराजियात में से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस एवं न्यायिक दृष्टांत (Raj) Tency(Government) (amend) Rules 2012 – Chapter xII & Form I, Added. का हवाला देकर प्रार्थना पत्र सव्य निरस्त फरमाया जाने हेतु निवेदन किया ।

मैनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। मौका रिपोर्ट दिनांक 31.12.2019 के अवलोकर अनुसार लाल स्याही से दर्शाया गया रास्ता आराजी संख्या 346, 345, 369 में से देने पर यह रास्ता प्रार्थीगण के लिए अत्यधिक लम्बा एवं अन्य कई खातेदारों से होकर गुजरने पर भविष्य में विवाद होने की संभावना रहेगी अतः मौका रिपोर्ट में दर्शाये गये अन्य लाल स्याही का रास्ता जो आराजी संख्या 1397, 1398, 2145/1397 में से गुजर रहा है वह प्रार्थीगण के लिए अत्यधिक सुगम एवं नजदीक है उक्तानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु आराजी संख्या 1397, 1398, 2145/1397 में से 20 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित है इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 1397 क्षेत्रफल 0.33 हे0 में से 0.0480 हे0 , 2145/1397 क्षेत्रफल 0.04 हे0 में से 0.0050 हे0 , 1398 क्षेत्रफल 0.73 हे0 में से 0.0070 हे0 अर्थात् रास्ते हेतु 0.06 हे0 भूमि रास्ते हेतु बनती है। जिससे प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी भूमि में आवागमन कर सकेंगे। अर्थात् उक्तानुसार रास्ते हेतु ग्राम माकड़िया की डी0एल0सी0 दर 231442/— रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार उक्त 0.06 हे0 भूमि की मालियत 13887/— रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 27774/— होती है। अत उक्तानुसार नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:30 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 462 / 2018 (2018 / 00348)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी. एक्ट उक्तानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1404, 1400, 1401, 1402, 1403 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की ग्राम माकड़िया की खसरा संख्या 1397 क्षेत्रफल 0.33 हे0 में से 0.0480 हे0 , 2145 / 1397 क्षेत्रफल 0.04 हे0 में से 0.0050 हे0 , 1398 क्षेत्रफल 0.73 हे0 में से 0.0070 हे0 अर्थात् रास्ते हेतु 0.06 हे0 भूमि रास्ते हेतु बनती है। उक्तानुसार भूभाग में से कम करते हुए रास्ते के भूभाग को राजस्व रेकार्ड में 20 फीट चौड़ाई का रास्ता यानी 0.06 हे0 भुमि का बिलानाम रास्ता दर्ज अभिलेख किया जावे। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 13887 / –होती है। इसकी दुगुनी राशि 27774 / –प्रार्थीगण विपक्षीगण को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.06 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थीगण से उक्तानुसार राशि 27774 / – प्रार्थीगण से वसुल कर विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम माकड़िया की खसरा संख्या 1397 क्षेत्रफल 0.33 हे0 में से 0.0480 हे0 , 2145 / 1397 क्षेत्रफल 0.04 हे0 में से 0.0050 हे0 , 1398 क्षेत्रफल 0.73 हे0 में से 0.0070 हे0 अर्थात् रास्ते हेतु 0.06 हे0 भूमि मौके पर्चे में वर्णितानुसार बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner